

न्यायालय सहायक जिलाधीश ओसिया जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतनलाल रेगर आर ए एस
राजस्व मूल वाद संख्या 195/2002

वादी:-

किशनाराम पुत्र मगाराम के कायम मुकाम

01. मांगाराम पुत्र किशनाराम
02. पूनाराम पुत्र किशनाराम
03. भगाराम पुत्र किशनाराम
04. मूली पत्नी किशनाराम
05. मीरा पुत्री किशनाराम
06. टिपूदेवी पुत्री किशनाराम
07. शमूदेवी पुत्री किशनाराम
08. बरजु पुत्री किशनाराम


समस्त जातियान जाट निवासीगण- बिंजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी जिला
जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

01. निम्बाराम पुत्र मगाराम मुकाम के कायम

01. भेराराम पुत्र निम्बाराम
02. भोपाराम पुत्र निम्बाराम
03. प्रभूराम पुत्र निम्बाराम
04. उरजाराम पुत्र निम्बाराम
05. देवी पत्नी निम्बाराम
06. रूपी पुत्री निम्बाराम
07. जेती पुत्री निम्बाराम


अध्यक्ष कक्ष, बाँसवा

08. धापू पुत्री निम्बाराम
09. माडू पुत्री निम्बाराम
10. पेपी पुत्री निम्बाराम


समस्त जातीयान जाट निवासीगण बिंजारिया बावड़ी तहसील तिंवरी
जिला जोधपुर।

वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं
प्रतिवाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 14-02-22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद बाबत बंटवाड़ा का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा बड़ला बासनी के खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का हैं। वादी के हिस्से में 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि आती है। हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काशत हैं। बंटवाड़ा नही होने के कारण कास्त के स्थान को लेकर विवाद रहता हैं। वादग्रस्त आराजी का मीटस एवं बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जावे। प्रतिवादी ने जवाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी अकेले का ही कब्जा काशत था। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काशत नही होने के कारण बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नही हैं। वादी ने गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी ने प्रतिवाद में कथन किया कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा काशत था लेकिन राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों की सदभाविक भूल के कारण वादग्रस्त आराजी की पैमाईश पीरा पुत्र पुरखा के नाम दर्ज कर दी। वक्त सेटलमेंट खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी शिकमी काशतकार दर्ज है। पीरा पुत्र पुरखा ने प्रतिवादी के पक्ष में लिखत से राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करवा दिया, लेकिन तत्कालिन हल्का पटवारी ने प्रतिवादी के साथ साथ वादी का नाम नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया। वादग्रस्त आराजी का लगान प्रतिवादी द्वारा राज्य सरकार में जमा करवाया गया। वादी ने प्रतिवाद का जवाब प्रस्तुत कर


[Redacted Signature]

कथन किया कि पीरा पुत्र पुरखा ने वादग्रस्त आराजी का बेचान वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 21.10.1961 को किया एवं कब्जा सुपुर्द किया। बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 53 स्वीकृत हुआ। वादी एवं प्रतिवादी की टयुवेल शामलाती हैं। पक्षकारान के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 06.10.2003 को निम्न लिखित विवाद्यक कायम किये गये।

01. आया खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा मौजा बड़ला बासनी तहसील ओसिया की भूमि बाई मिटस एवं बाउण्डस बंटवाड़ा करके 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य 1/2 हिस्सा आधा आधा हिस्सा घोषित किया जावे।
जिम्मे वादी
02. आया उक्त भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाई मिटस एवं बाउण्डस बंटवाड़ा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमिम करके रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।
जिम्मे वादी
03. आया वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा घोषित की जावे कि वादी के घोषित हिस्से पर प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे।
जिम्मे वादी
04. आया प्रतिवादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।
जिम्मे प्रतिवादी
05. अन्य दादरसी।

वादी का वाद साबित नही होने के कारण दिनांक 24.12.2003 को खारिज कर दिया। वादी ने निर्णय डिक्री दिनांक 24.12.2003 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा वादी की अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त आवर्जवेशन अनुसार अतिरिक्त तनकी/तनकीयात विशेषतया **Counter Claim** हेतू कायम की जाकर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में पृथक पृथक तनकीवार विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया जावे


जोधपुर, 24.12.2003

तथा वादी के वाद तथा प्रतिवादी के प्रतिवाद बाबत स्पष्टरूप से गन्ताव्य प्रकट करते हुए न्यायोचित एवं विधि सम्मत निर्णय पारित करे।”


राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्देशानुसार निम्न लिखित अतिरिक्त तनकी कायम की गई

अतिरिक्त तनकी

01. आया ग्राम बड़ला बासनी के खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि पीराराम पुत्र पुरखाराम से दिनांक 21.10.1961 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने सयुक्तरूप से खरीदी थी तथा जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) में आज तक दोनो के सयुक्त नाम से दर्ज है। जिम्मे वादी
02. आया सयुक्त खातेदार होने से वादी बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार हैं जिम्मे वादी
03. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने की तिथि से इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है तथा वह अकेला ही इस भूमि का खातेदार काश्तकार हैं जिम्मे प्रतिवादी
04. आया प्रतिवाद एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार घोषित करने का अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी
05. अन्य दादरसी ।

वादी ने वाद साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में किशनाराम, मोटाराम एवं चुतराराम के शपथ पत्र पेश किया गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 जमाबन्दी प्रदर्श 02 नामान्तरकरण संख्या 53 प्रदर्शित करवाया गया एवं प्रतिवादी ने प्रतिवाद को साबित करने के लिए गवाह भेराराम भोपाराम, उरजाराम प्रभूराम हरजीराम के बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 एवं 2018 से 2023 प्रदर्शित करवाई गई।

वकूलाय पक्षकारान की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस करते हुए तर्क किया कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्त कार है जमाबन्दी में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। खातेदार काश्तकार पीरा पुत्र पुरखा


कलेक्टर औसिया ।

द्वारा दिनांक 21.10.1961 के बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 53 ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया। राजस्व रेकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी का नाम नामान्तरकरण संख्या 53 के जरिये दर्ज किया गया। प्रतिवादी ने नामान्तरकरण संख्या 53 को चुनौति नहीं दी है। वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने के कारण वादी बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। वादी ने मौखिक साक्ष्य एवं दरस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया कि वादी एवं प्रतिवादी ने संयुक्तरूप से वादग्रस्त आराजी को पीरा पुत्र पुरखा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एवं राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्तरूप से खातेदारी दर्ज की गई। वादी अधिवक्ता का तर्क है कि वादी का कब्जा खातेदार काश्तकार होने के कारण हिस्से तक कब्जा माना जायेगा। वादी के अधिवक्ता का तर्क है कि वादी ने तनकी संख्या 01 02 एवं 03 साबित की इस कारण से वादी का वाद डिकी किया जावे। बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमिम किया जावे एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंददाजी नहीं करें। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी का कब्जा काश्त था, लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों कर्मचारियों की सदभाविक भूल के कारण पैमाईश पीरा के नाम से हो गई जिसे दुरुस्त करवाने के लिए पीरा ने प्रतिवादी के पक्ष में लिखत की लेकिन हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 53 में प्रविष्टी करते समय प्रतिवादी के साथ साथ वादी का नाम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर वादी का कोई कब्जा काश्त हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वाद पत्र के पद संख्या 09 में वादी द्वारा चाह गये अनुतोष में वादी के बंट में रखी गई भूमि का कब्जा वादी को दिलाने का कथन किया है। प्रतिवादी के अधिवक्ता का कानि है कि दावा दायरी के दिन वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण बिना कब्जा वादी केवल बंटवाड़ा का वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रदर्श डी 01 एवं डी 02 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि सेटलमेंट के समय


 राजस्व अधिकारी

वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी अकेले का ही कब्जा काशत था। केवल जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी नहीं हो जाता है। वादी ने अपने आपको वादग्रस्त आराजी का सदभाविक खातेदार काशतकार साबित नहीं किया, इस कारण से वादी बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद डिक्री किया जावे। वादी का नाम रातस्व रेकर्ड से विलोपित किया जावे। वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काशत उपयोग उपभोग के किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने करे न किसी अन्य से करावे।

वकुलाय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तनकी अनुसार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न अनुसार हैं।

01 मूल तनकी संख्या 01 आया खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा मौजा बड़ला बासनी तहसील ओसिया की भूमि बाई मिटस एवं बाउण्डस बंटवाड़ा करके 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य 1/2 हिस्सा आधा आधा हिस्सा घोषित किया जावे।

जिम्मे वादी


अतिरिक्त तनकी संख्या 01 आया ग्राम बड़ला बासनी के खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि पीराराम पुत्र पुरखाराम से दिनांक 21.10.1961 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने सयुक्तरूप से खरीदी थी तथा जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) में आज तक दोनों के सयुक्त नाम से दर्ज है।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या 01 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 01 आपस में एक दुसरी पर आधारित है। इस कारण से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। मूल तनकी संख्या 01 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने वाद बाबत बंटवाड़ा का दिनांक 06.08.1999 को न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मौजा बड़ला बासनी (वर्तमान बस्सीनगर) के खसरा संख्या


जिम्मे वादी

182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का हैं। वादी के हिस्से में 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि आती है। हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त हैं। बंटवाड़ा नही होने के कारण कास्त के स्थान को लेकर विवाद रहता हैं। वादग्रस्त आराजी का मीटस एवं बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जावे। वादी ने वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी पीरा से खरीद करने का अभिचन नही किया। केवल जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया। वादी ने प्रतिवाद का जवाब प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त आराजी को पीरा से खरीद करने का नया अभिवचन किया हैं लेकिन वादी ने बेचान दस्तावेज न्यायालय में पेश ही नही किया। इसके विपरित प्रतिवादी ने जवाब दावा एवं प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए अभिवचन किया कि वादी ने गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने अभिवचन किया कि वक्त सेंटलमेंट प्रतिवादी का कब्जा काश्त था लेकिन गलती से सेटलमेंट अधिकारियो ने पीरा का नाम दर्ज कर दिया जिसे दुरुस्त करवाने के लिए पीरा ने प्रतिवादी के पक्ष में लिखत कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करवा दिया लेकिन वक्त नामान्तरकरण वादी का नाम प्रतिवादी के साथ साथ हल्का पटवारी ने गलती से दर्ज कर दिया गया। वादी वादग्रस्त आराजी खरीद करना बताया लेकिन खरीद संबंधी दस्तावेज वादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। इसके विपरित प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी का कब्जा काश्त था एवं गिरदावरी में प्रतिवादी का कब्जा काश्त दर्ज हैं। सेटलमेंट अधिकारियो कर्मचारियो की सदभाविक भूल के कारण राजस्व रेकर्ड में पीरा का नाम दर्ज हो गया। राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करवाने के लिए पीरा ने प्रतिवादी के पक्ष में लिखत कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करवा दिया। नामान्तरकरण संख्या 53 का अवलोकन किया जावे तो ग्राम पचायत के समक्ष पीरा द्वारा की गई लिखत पेश की गई। ग्राम पचायत ने लिखत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 53 स्वीकृत किया गया। वादी किशनाराम स्वयं ने यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनको वाद प्रस्तुत करने के बाद काश्त



काश्त कर्तव्य, धारा

नहीं करने देते हैं। वादी स्वयं ने वाद पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी के बंट की भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इसके अलावा वादी के समस्त गवाहान ने बयानों के यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काशत नहीं है। प्रतिवादी ने अभिवचन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हल्का पटवारी की गलती से दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त करवाने के लिए प्रतिवादी ने प्रतिवाद प्रस्तुत किया। केवल जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार सदभाविक खातदार काशतकार नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2023 प्रस्तुत कर वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा काशत होना साबित किया है। वादी ने खसरा गिरदावरी का खण्डन नहीं किया। पक्षकारान के गवाहानों के बयानों एवं दस्तावेजों के आधार पर वादी मूल तनकी संख्या 01 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 01 साबित करने में असफल रहा है। मूल तनकी संख्या 01 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 01 वादी के विरुद्ध निस्तारित की जाती हैं।

02. मूल तनकी संख्या 02 आया उक्त भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाई मिटस एवं बाउण्डस बंटवाड़ा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमिम करके रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

मूल तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी पर है। सह-खातेदारी कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में तरमिम करवाने के लिए सदभाविक खातेदार काशतकार एवं मौके पर भौतिक कब्जा साबित करना आवश्यक होता है। वादी ने अभिवचन किया कि वादग्रस्त आराजी पीरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। खरीद के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। इसके विपरित प्रतिवादी का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा काशत वक्त सेटलमेंट से है लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों की सदभाविक भूल के कारण पैमाईश पीरा के नाम से कर दी गई। पीरा ने लिखत के आधार पर भूल का सुधार करवा दिया। खसरा



खसरा अधिकारी, थाना

गिददावरी से प्रतिवादी ने अपना कब्जा काशत वक्त सेंटलमेंट से साबित किया है। वादी स्वयं ने स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा काशत नहीं है। वादी ने कब्जा प्राप्ति का वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। वादी एवं प्रतिवादी के कथनों के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काशत भौतिकरूप से नहीं होने के कारण वादी बंटवाड़ा एवं तरमिम करवाने का अधिकारी नहीं हैं। मूल तनकी संख्या 02 वादी साबित करने में असफल रहा है। मूल तनकी संख्या 02 वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती हैं

03. मूल तनकी संख्या 03 आया वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा घोषित की जावे कि वादी के घोषित हिस्से पर प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे।

जिम्मे वादी
अतिरिक्त तनकी संख्या 02 आया सयुक्त खातेदार होने से वादी बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार हैं

जिम्मे वादी
मूल तनकी संख्या 03 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 02 एक समान है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए वादग्रस्त आराजी पर भौतिक कब्जा काशत होना चाहिए। वादी स्वयं ने स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कोई कब्जा काशत नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर वादी भौतिक कब्जा साबित करने में असफल रहा है। भौतिक कब्जा के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार से वादी मूल तनकी संख्या 03 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 02 साबित करने में असफल रहा है। मूल तनकी संख्या 03 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 02 वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती हैं।



जिम्मे वादी, भारत

04. अतिरिक्त तनकी संख्या 03 आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की तिथि से इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है तथा यह अकेला ही इस भूमि का खातेदार काश्तकार है

जिम्मे प्रतिवादी
अतिरिक्त तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अतिरिक्त तनकी संख्या 03 को साबित करने के लिए खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2023 तक प्रदर्शित करवाई है। खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का काश्त दर्ज है। प्रतिवादी का कथन है कि वक्त सेटलमेंट उनका कब्जा था लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों कर्मचारियों की भूल से पीरा का नाम दर्ज कर दिया गया। पीरा ने भूल सुधारने के लिए प्रतिवादी के पक्ष में लिखत की है। वादी ने प्रतिवादी के उक्त कथन का खण्डन नहीं किया। वर्तमान में वादी स्वयं स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का सेटलमेंट से कब्जा काश्त होने का कथन नहीं है, वादी के अनुसार वादी को कब्जा पीरा द्वारा किये गये बेचान के आधार पर प्राप्त होने का कथन रहा है। जबकि प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी का कब्जा है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा। वादी ने साबित नहीं किया है। इस प्रकार से अतिरिक्त तनकी संख्या 03 प्रतिवादी साबित करने में सफल रहा है। अतिरिक्त तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में निस्तारित की जाती है।


05. मूल तनकी संख्या 04 आया प्रतिवादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी
इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित की जाती है


जिम्मे प्रतिवादी


08. अतिरिक्त तनकी संख्या 04 आया प्रतिवाद एवं एडवर्स फ्लेगन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार घोषित करने का अधिकारी है।

अतिरिक्त तनकी संख्या 04 एक समान है इन तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए खसरा गिरदावरी सम्बत 2014 से 2023 तक प्रदर्शित करवाई है। खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का काश्त दर्ज है। प्रतिवादी का कथन है कि वक्त सेटलमेंट उनका कब्जा था लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों कर्मचारियों की भूल से पीरा का नाम दर्ज कर दिया गया। पीरा ने भूल सुधारने के लिए प्रतिवादी के पक्ष में लिखत की है। वादी ने प्रतिवादी के उक्त कथन का खण्डन नहीं किया। वर्तमान में वादी स्वयं स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का भौतिक कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त होने का कथन नहीं है। वादी के अनुसार वादी को कब्जा पीरा द्वारा किये गये बेचान के आधार पर प्राप्त होने का कथन रहा है। जबकि प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी का कब्जा है। वादी द्वारा बेचान दिनांक 21.10.1961 को होना बताया जा रहा है। नामान्तरकरण संख्या 53 का अवलोकन किया जावे तो यह तथ्य सामने आता है कि नामान्तरकरण में प्रविष्टि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.11.1963 को की जाती है एवं भू अभिलेख निरीक्षक का अंकन दिनांक 23.01.1964 को किया जाता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 07.08.1966 को पारित किया जाता है। इन परिस्थितियों में वादग्रस्त आराजी पर वादी को कब्जा काश्त किस वर्ष प्राप्त हुआ वादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। वादी का कब्जा किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा। वादी ने साबित नहीं किया है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी का नाम गलती से हल्का पटवारी ने प्रतिवादी के साथ दर्ज कर दिया। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी का वक्त सेटलमेंट से ही काबिज होने के कारण प्रतिवादी को राजस्थान



 राजस्थान सरकार, नागपुर


काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी का सदभाविक खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी की गलती से वादी का नाम दर्ज किया गया है इस कारण से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम विलोपित करवाने का प्रतिवादी अधिकारी हैं। इस प्रकार से अतिरिक्त तनकी संख्या 04 प्रतिवादी साबित करने में सफल रहा है। अतिरिक्त तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

अनुतोष :- उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद साबित करने में विफल रहा एवं प्रतिवादी प्रतिवाद साबित करने में सफल रहा। वादी का वाद खारिज किया जाता है। एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी का प्रतिवाद इस आशय का डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा बस्सीनगर (बड़ला बासनी) के खसरा संख्या 182 रकबा 70 बिघा 07 बिस्वा का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं राजस्व रेकर्ड में से वादी का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में वादी किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य के जरिये करावे। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो।


रतनलाल रेंगर
सहायक जिलाधीश आसिया
जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 14.2.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।


रतनलाल रेंगर
सहायक जिलाधीश आसिया
जिला जोधपुर



अज अदालत - सहायक कलेक्टर (ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जास्ता दीवानी)
 बड़जलास - रतनलाल रेगर आर.ए.एस. (सिविल प्रोसेडर कोड एपीडिक्ट डी-1)
 वादीगण

1 किशनाराम पुत्र श्री मगाराम के नाम
 मुकाम

- 1-1 मागाराम पुत्र श्री किशनाराम
 - 1-2 पूनाराम पुत्र श्री किशनाराम
 - 1-3 मगाराम पुत्र श्री किशनाराम
 - 1-4 मूली पत्नि श्री किशनाराम
 - 1-5 मीरा पुत्री श्री किशनाराम
 - 1-6 टिपू देवी पुत्री श्री किशनाराम
 - 1-7 वरजू पुत्री श्री किशनाराम
- जाति जाट निवासी बीजारिया बावडी
 तहसील तिवरी जिला जोधपुर ।

प्रतिवादीगण

- 1 निम्नाराम पुत्र श्री मगाराम के नाम
 मुकाम
 - 1-1 भैराराम पुत्र श्री निम्नाराम
 - 1-2 भोपाराम पुत्र श्री निम्नाराम
 - 1-3 प्रभुराम पुत्र श्री निम्नाराम
 - 1-4 उरजाराम पुत्र श्री निम्नाराम
 - 1-5 देवी पत्नि श्री निम्नाराम
 - 1-6 रूपी पुत्री श्री निम्नाराम
 - 1-7 जेती पुत्री श्री निम्नाराम
 - 1-8 धापू पुत्री श्री निम्नाराम
 - 1-9 माडु पुत्री श्री निम्नाराम
 - 1-10 पेपी पुत्री श्री निम्नाराम
- जाति जाट निवासी विजारिया बावडी
 तहसील तिवरी जिला जोधपुर ।
 2 श्री मान तहसीलदार साहन, तिवरी ।

मुकदमा नम्बर 41/2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रु-ब-रु पक्षकार बहाजरी श्री जगदीश चन्द्र चौधरी व दिनेश मदेरणा एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की तरफ से रूगाराम चौरी उपस्थित हुकम दिया जाता है कि ग्राम बस्सी नगर बडला बासनी के खसरा नम्बर 182 रकबा 70 बीघा 7 बीस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे । मुवलिंग..... फिसदी बाबत खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह फिसदी सालाना आज की तारीख वसूलयागी तक को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14/12/22 को जारी की गई ।

मुदई	रुपये	प्से	मुद्दायलाह	रुपये	प्से
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
फाका कमिश्नर			बाबत इजराह हुकमनामा		
जनाब इजराह हुकमनामा			मुददफरीक		
अन्य					
योग			योग		

टिप पर्चा खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।



सहायक कलेक्टर ओसिया
 बहागक कलेक्टर, ओसिया